न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 304 / 2017 (316 / 2025)

दायर दिनाँक 02.11.2017 (19.08.2025)

वादी		प्रतिवादीगण
1. बादरखाँ पुत्र मोईदीन(फौत) 1. इस्माइल खान पुत्र बादर खान 2. मेहबुब खान पुत्र बादर खान 3. याकुब खान पुत्र बादर खान 4. रहमत बानो पुत्री बादर खान 5. मेहबुब बानो पुत्री बादर खान 6. बिदामी बानो पुत्री बादर खान 7. मेहरून बानो पुत्री बादर खान 8. जरीना बानो पुत्री बादर खान जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. इस्लामबानो पत्नी मुनीरखाँ, 2. पतासीबानो पत्नी हिदायतखाँ, 3. यूसुफखाँ पुत्र बाबूखाँ, 4. रेहाना पत्नी फारूखखाँ पुत्र बाबूखाँ, 5. आदिल पुत्र स्वर्गीय फारूखखाँ पुत्र पुत्र बाबूखाँ, 6. अरमान पुत्र स्वर्गीय फारूखखाँ पुत्र पुत्र बाबूखाँ, (नाबालिग जरिये प्रतिवादी संख्या 04), 7. आयशाबानो पत्नी बाबूखाँ, 8. नवाबखाँ पुत्र भँवरूखाँ, 9. शौकतखाँ पुत्र मुंशीखाँ पुत्र मोईदीन, 10. गुलशेरखाँ पुत्र मोईदीन (फौत) 1. मरियम बानो पुत्री गुलशेर खान 2. नजीर खान पुत्र गुलशेर खान 3. मेहबुब खान पुत्र मेहफुल खान 4. शकीला बानो पत्नी मेहफुल खान 5. उमरदीन खान पुत्र मेहफुल खान 6. अफसाना बानो पुत्री मेहफुल खान 7. मुन्नी बानो पत्नी जुल्ले खान 8. आरीफ खान पुत्र जुल्ले खान 9. रूबिया बानो पुत्री जुल्ले खान 10. जिन्नत खोखर पुत्री जुल्ले खान 11. आमीर खान पुत्र जुल्ले खान 12. इब्राहीम खान पुत्र जुल्ले खान

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

		13. बेगम बानो पुत्री गुलशेर खान 11. महबूबखाँ पुत्र महफूलखाँ, 12. उमरदीन पुत्र महफूलखाँ, 13. मैनाबानो पुत्री महफूलखाँ, 14. शकीलाबानो पत्नी महफूलखाँ, समस्त,जाति–कायमखानी, निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 15. भँवरलाल पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 16. सत्यनारायण पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 17. मदनलाल पुत्र हणमानबख्श, जाति–ब्राह्मण, 18. लालीदेवी पत्नी स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 19. कुलदीप पुत्र स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 20. जगदीप पुत्र स्वर्गीय रामावतार पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 21. सुमन पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 22. भरत पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र पुत्र चुन्नीलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, (नाबालिग जरिये माता प्रतिवादी संख्या 21), 23. नरेन्द्र पुत्र भागीरथ पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 24. भँवरीदेवी पत्नी स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 25. युधिष्ठिर पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 26. छगन पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

		तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 27. विनोद पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 28. सुभाष पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 29. प्रेमसुख पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 30. मुकेश पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 31. सत्यप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बजरंगलाल पुत्र तुलछीराम, जाति–ब्राह्मण, 32. भँवरलाल पुत्र स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 33. रमेश पुत्र स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 34. जमना पत्नी स्वर्गीय नागरमल, जाति–ब्राह्मण, 35. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 36. विद्याप्रकाश पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 37. कविता पत्नी स्वर्गीय शिवभगवान पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 38. अजय पुत्र स्वर्गीय शिवभगवान पुत्र मोहनलाल, जाति–ब्राह्मण, 39. देवीलाल पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 40. वेदप्रकाश पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 41. योगेशकुमार पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 42. रामनिवास पुत्र गोविन्दलाल, जाति–ब्राह्मण, 43. भागूराम पुत्र भींवा, जाति–जाट, 44. ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 45. शंकर पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट,

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

		46. संजु पत्नी स्वर्गीय जेठाराम पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, 47. अमन पुत्र स्वर्गीय जेठाराम पुत्र स्वर्गीय बगसा पुत्र उदा, जाति–जाट, (नाबालिग जरिये माता प्रतिवादी संख्या 46), 48. जीवण पुत्र उदा, जाति–जाट, 49. हरजीराम पुत्र प्रभुराम, जाति–बावरी, 50. मनोहरलाल पुत्र सुखाराम, जाति–मेघवाल, 51. गोपी पुत्र भूरा, जाति–मेघवाल, 52. रामदेव पुत्र भूरा, जाति–मेघवाल, समस्त,निवासी–दीनदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 53. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री इस्लामुदीन, वकील, वादी।
2. श्री हाकम अली खां वकील प्रतिवादी संख्या 10/1 ता 10/13 की ओर से

दिनाँक **30.03.2026**

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद दीनदारपुरा में खेत खसरा नम्बर 309 रकबा 01.11 बीघा भूमि जिसके नये खसरा संख्या 477, 808/477 व खेत खसरा नम्बर 343 रकबा 01.00 बीघा भूमि तथा खेत खसरा नम्बर 344 रकबा 36.14 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 522, 809/522 भूमि अवस्थित है, जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 52 की सहखातेदारी की भूमि है। नकल पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 52 का संयुक्त खातेदारी सुदा खेत खसरा नम्बर 309, 343 व 344 वाकै सरहद दीनदारपुरा में स्थित है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

वादी व प्रतिवादीगण का अलग–अलग हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। दर्ज खातेदार फारूखखाँ, मुशीखाँ, चुन्नीलाल, भागीरथ, बजरंग, शिवभगवान व बगसा फौत हो गये है जिनके वारिसान् को प्रतिवादी बनाया गया है।

वादग्रस्त भूमि में मौके पर पक्षकारान् भौतिक रूप से मौखिक बन्टवारा कर सींवें–नींवें कायम कर करीब पचास सालों से काबिजकाश्त हैं परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा नहीं होने से दावा बाबत् बन्टवारा पेश है।

वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा विधिनुसार नहीं होने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को प्लॉटिंग करना चाहते हैं जिससे वादी को नुकशान हो जायेगा, इसलिए वादी वाद बाबत् बन्टवारा पेश किया है।

दिनाँक 29.08.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त भूमि का बैचाण कर इससे बेदखली की धमकी देने से बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है। तहसीलदार डीडवाना को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है मगर उनसे वाद में कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद दीनदारपुरा में वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा नजरीनक्शा में दर्शित माफिक निम्नानुसार किया जावे:–

1. खसरा नम्बर 309 रकबा 01.11 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 477, 8084 भूमि में से रकबा 09 बिस्वा 15 बिस्वांसी संशोधित नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए से एच तक की भूमि व मार्क ए से बी तक 10 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किया जावे तथा खातेदारी बदस्तूर रखी जावे।
2. खसरा नम्बर 344 रकबा 36.14 बीघा जिसके नये खसरा संख्या 522,809/522 में से वादी का हिस्सा बंट संशोधित नजरीनक्शा में दर्शित खसरा संख्या 522 में से मार्क ए बी सी डी तक रकबा 0.3642 है. भुमि व खसरा संख्या 809/522 में से 12 फुट चौडा रास्ता नजरी नक्शा दर्शितानुसार वादी के हक बंट में आया हुआ का वादी को घोषित खातेदारी बंटवारा का घोषित किया जाकर विधिवत बंटवाडा बाई मिटस एण्डस बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर उक्त अनुरूप अमल दरामदगी किया जावे व शेष भूमि का वर्तमान शेष सह खातेदार प्रतिवादीगण की बददस्तुर रखी जावें तथा खसरा संख्या 343 रकबा 01 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा बदस्तुर रखा जावे।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 53 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.02.2019 को डिक्री पारीत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री के विरूद्ध, माननीय

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के प्रकरण संख्या 138 / 2021 / 223 / डीडवाना बनुवान गुलशेर खा बनाम बादर खां में अपील दर्ज करवाई गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2025 को अपीलांट की अपील स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2019 को अपास्त कर निर्देश जारी किया कि– " उभयपक्षकारान को जवाब, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर विधिनुसार नए सिरे से निर्णय पारित करें एवं उभयपक्ष को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 30.06.2025 को सहायक कलक्टर डीडवाना के समक्ष उपस्थित हों, उभयपक्ष को पृथक से नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।"

माननीय न्यायालय से निर्णय पारित होने के उपरान्त को उक्त नये नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 के कायम मुकाम की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ।

वादी की ओर से शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के वादी बादरखाँ व सोहनराम के पेश हुए।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 खसरा नम्बर 343, 344, 309 व 316 की सत्यप्रतिपियाँ व मुख्त्यारनामा आम पेश किये हैं।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि, वाद में किसी पक्षकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा पक्षकारान् अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिजकाश्त हैं जिसके अनुसार खातेदारी घोषित की जावे जो वादी अनतोष में वर्णित है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार ने कोई खण्डन नहीं किया है। वादी दावानुसार दावा डिक्री चाहते हैं जिसमें किसी पक्षकार की कोई आपत्ति पेश नहीं है। लिहाजा वाद वादी माफिक दावा डिक्री किया जाना अदालत को जायज लगता है।

अतः बाद विवेचन वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद दीनदारपुरा में वादग्रस्त खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, नजरीनक्शा अनुसूची "ब", में दर्शित भूमि माफिक खातेदारी आदेश इस कदर पारित किये जाते हैं, कि–

1. **खसरा नम्बर 309 (नये खसरा संख्या 477, 808 / 477) रकबा 01.11 बीघा भूमि में से**, नजरीनक्शा अनुसूची "ब" में दर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ जी एच की भूमि रकबा 09 बिस्वा 15 बिस्वांसी की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाती है जिसमें मार्क ए से बी तक की 10 फुट चौड़ाई की भूमि रास्ते की भूमि रहेगी। इस खसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

2. **खसरा नम्बर 344(नये खसरा संख्या 522, 809/522) रकबा 36.14 बीघा भूमि में** से, नजरीनक्शा अनुसूची ''ब'' में दर्शित मार्क खसरा संख्या 522 में से मार्क ए बी सी डी तक रकबा 0.3642 है. भुमि व खसरा संख्या 809/522 में से 12 फुट चौडा रास्ता नजरी नक्शा दर्शितानुसार भूमि की खातेदारी वादी के पक्ष में घोषित की जाती है। इस खसरे की शेष भूमि की खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। खसरा संख्या 343 रकबा 01 बीघा किस्म गैर मुमकिन की खातेदारी बदस्तुर जारी रहेगी।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची ''ब'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **30.03.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

20.4.26

प्रतिवादी सं. 12 के धारा 151 CPC के प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर प्रतिवादी सं. 12 का नाम इब्राहिम खां पुत्र गुलेखां के स्थान पर इब्राहिम खां पुत्र गुलशेर खां दुरस्त किया जाता है।

vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना